परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली में कबाड़ डीलरों की दुकानों में रेडियोसक्रिय सामग्री पायी जाने की घटना

मुंबई, अप्रैल 10, 2010 : मायापुरी, नई दिल्ली में कबाड़ डीलरों की दुकानों में हाल ही में पायी गयी रेडियोसक्रिय सामग्री के संबंध में उठे कतिपय मुद्दों पर प्रकाश डालने तथा स्पष्टीकरण देने के लिए यह बयान जारी किया जाता है। इस घटना का पता तब चला जब एईआरबी को नई दिल्ली के एक अस्पताल से एक मरीज़, मायापुरी कबाड़ धातु डीलर, को विकिरण उत्प्रेरित लक्षण होने की आशंका की रिपोर्ट मिली। एईआरबी के दो अधिकारियों को तत्काल उस स्थल पर भेजा गया जिन्होंने विकिरण के स्थान की पहचान की। तत्काल उपाय के तौर पर उन्होंने पहचाने गए उच्च विकिरण स्थानों को मेटल शीटों से ढँक कर परिरक्षण प्रदान किया ताकि विकिरण स्तर घट सके। परमाणु ऊर्जा विभाग की नामोद्दिष्ट आपात्कालीन कार्रवाई एजन्सियों को इसकी सूचना दी गयी, जिन्होंने कार्यविधियों के अनुसार तत्परता से कार्रवाई की तथा दिनांक 8 अप्रैल, 2010 को रातभर की कार्रवाई के बाद रेडियोसक्रिय टुकड़ों को ढूँढकर परिरक्षित कंटेनरों में संरक्षित तरीके से रखने में कामयाब हुए। परिणामस्वरूप 9 अप्रैल के पूर्वाह्न तक उस क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया गया तथा पुष्टि की गयी कि विकिरण स्तर प्राकृतिक पृष्ठभूमि स्तर पर ही है। रिकवरी कार्रवाई करने वाले विशेषज्ञों तथा कार्मिकों को मिली विकिरण डोज़ का मॉनीटरन किया गया तथा पाया गया कि वह निर्दिष्ट सीमा के अंदर है। संपूर्ण कार्रवाई के दौरान एईआरबी के प्रतिनिधि स्थल पर मौजूद थे।

...2/-

कोबाल्ट-60 (Co-60) के टुकड़े विकिरण का कारण थे। वे कहाँ से आए, यह पता लगाने का काम अब चल रहा है। कोबाल्ट-60 का उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है जैसे, औद्योगिक रेडियोचित्रण कैमरों में, मोटाई नापने के लिए न्यूक्लिओनिक गेज़ों में, कूप-संलेखन कार्रवाइयों में तथा रक्त किरणकों, रेडियोचित्रण उपकरणों जैसे चिकित्सीय उपकरणों में।

कोबाल्ट-60 का उपयोग करने वाली हर फैसिलिटी तथा उपकरण के लिए एईआरबी से लाइसेंस लेना / प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है। इतना ही नहीं, इन फैसिलिटियों / उपकरणों में कोबाल्ट-60 के प्रतिस्थापन के लिए भी एईआरबी की सहमति आवश्यक होती है। यह सहमति इस आधार पर दी जाती है कि इस्तेमाल किया गया कोबाल्ट-60 अपने मूल आपूर्तिकर्ता को संरक्षित तरीके से लौटा दिया गया है। भारत में, कोबाल्ट-60 की आपूर्ति ब्रिट (विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड) द्वारा की जाती है तथा कड़ी लाइसेंसिंग प्रक्रिया के तहत इसका आयात भी किया जाता है। कोबाल्ट-60 का उत्पादन एक अति विशिष्टीकृत प्रक्रिया है जिसके लिए नाभिकीय रिएक्टरों वाली बड़ी फैसिलिटियों की आवश्यकता होती है।

कोबाल्ट-60 टुकड़ों के स्रोत का पता लगाने के लिए की जा रही जांच से पुलिस को यह पता लगाने में सहायता मिलेगी कि वे टुकड़े धातु कबाड़ बाज़ार में किस तरह पहुँचे। अन्य अनुवर्ती कार्रवाइयों में, ऐसे व्यक्तियों को छाँटना जिन्हें विकिरण मिली होने की संभावना है तथा उनकी चिकित्सीय जाँच करवाना; ऐसी स्थितियों में आपात्कालीन कार्रवाई की तैयारी को इस अनुभव के आधार पर अधिक कारगर बनाना तथा ऐसी घटनाओं से बचने के लिए, विभिन्न संभावित स्थानों पर विकिरण निगरानी उपकरण लगाना शामिल है।

(एस.ए.हुसैन)

प्रभागाध्यक्ष, विकिरण संरक्षा प्रभाग

दूरभाष : 25574287 / 9920987908